R 3149-III/13

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–सिंगरौली

अब्दुल रऊब पुत्र श्री शेख अहमद,
निवासी– ग्राम बैढ़न, तहसील व जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

.........आवेदक

विरूद्ध

1– श्रीमती सायरा बीबी पत्नी श्री शेख अहमद
2– शेख अब्दुल्ला पुत्र श्री शेख अहमद
3– अब्दुल रहीम पुत्र श्री शेख अहमद
4– अब्दुल सलाम पुत्र श्री शेख अहमद
5– अब्दुल कलाम पुत्र श्री शेख अहमद
6– अब्दुल वाहिद पुत्र श्री शेख अहमद
7– अब्दुल वदूद पुत्र श्री शेख अहमद
8– अब्दुल वहाब पुत्र श्री शेख अहमद
9– अब्दुल बासिद पुत्र श्री शेख अहमद
10–अब्दुल रफीव पुत्र श्री शेख अहमद
11–जुबेदा खातून पुत्री श्री शेख अहमद
12–मुस. खजीजी बेगम पुत्री श्री शेख अहमद
निवासीगण– ग्राम बैढ़न, तहसील व जिला
सिंगरौली (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 508/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.03.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बलियरी में स्थित आराजी क्रमांक 226/3 कुल रकबा 0.455 हेक्टेयर के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी ~~शेख अहमद~~ थे। ~~उनकी मृत्यु~~ के ~~बाद~~ भूमि स्वामी श्रीमती सायरा बीबी हुई और उन्होंने अपने पुत्रों के नाम भूमि का बटवारा कराये जाने की कार्यवाही तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष प्रारंभ की गई थी। तहसीलदार सिंगरौली द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 51/11–12 पारित आदेश दिनांक 13.04.2012 को एक बटवारा आदेश पारित किया गया, जबकि इस बटवारा आदेश में आवेदक को कोई भूमि नहीं दी गई, जबकि वह शेख अहमद का पुत्र होने के नाते भूमि प्राप्त करने का वैधानिक पात्र व्यक्ति था तथा उसका शेख अहमद की भूमि में हिस्सा एवं हक था।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3149–तीन/13 **जिला** –सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
1.03.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित होकर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई कर समाप्त करने का अनुरोध किया गया है । उनके द्वारा प्रकरण में शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया है तथा उस के साथ आवेदक का शपथ पत्र श्री संलग्न कर निवेदन किया गया है कि प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं । प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जावे । अतः आवेदक के अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण को आगे न चलाने का अनुरोध स्पीकार किया जाता है तथा प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	